

वार्षिक लेखा

2018-19



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
कोर-IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
वैबसाइट: www.ncrpb.nic.in



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार
(विषय सूची)

| क्र. सं. | संक्षिप्त विवरणिका | पृष्ठ सं. |
|----------|--|-----------|
| 1 | लेखा परीक्षा रिपोर्ट | i-iv |
| 2 | तुलन पत्र | 1 |
| 3 | आय-व्यय खाता | 2 |
| 4 | प्राप्ति तथा भुगतान खाता | 3-4 |
| 5 | अनुसूची 1 से 16 | 5-14 |
| 6 | 31.03.2019 को बनाए गए तुलन-पत्र में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा नीतियां (अनुसूची-17) | 15-18 |
| 7 | 31.03.2019 को बनाए गए तुलन-पत्र के गये खातों पर आकस्मिक देयताएं पर टिप्पणी (अनुसूची -18) | 19-23 |



संख्या / No.

गोपनीय

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-1, नई दिल्ली

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL
AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER, AUDIT BOARD-1, New Delhi

दिनांक / Dated

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
निर्माण भवन,
नई दिल्ली।

विषय- वर्ष 2018-19 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा
प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वर्ष 2018-19 के सत्यापित लेखाओं की
प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखने के लिए अग्रेषित कर रही हूँ।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के
समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखों को शासी निकाय (Governing Body) को नियमानुसार प्रस्तुत
किया जाए।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत
किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

भवदीया,

हस्ता०

(प्राची पाण्डेय)

प्रधान निदेशक

अनुलग्नक: यथोपरि

संख्या: PDCA/CHQ-I/3-3/AC/NCRPB/2019-20/588

दिनांक - 5/11/19

प्रतिलिपी:-

✓ सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, प्रथम तल, कोर IV-बी, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी
रोड, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक
प्रति संलग्न की जा रही है।

2. प्रधान निदेशक (वाणिज्यिक-II), भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली के पत्र
संख्या 591/CA-III/ND-II/SAR/2018-19/NCRPB/64-2019 शून्य दिनांक 30.10.19 के संदर्भ में
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तथ्यों एवं आँकड़ों की जाँच कर ली गई है अनुमोदित लेखापरीक्षा
प्रतिवेदन में एक संशोधन किया गया है जिसे कमेंट स. B में बोल्ड में अंकित कर दिया गया है।

प्राची पाण्डेय
5-11/19

(प्राची पाण्डेय)

प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002

3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002

दूरभाष / Tele.: 011-23378473, फ़ैक्स / Fax : 011-23378432, 011-23370871

E-mail : mabnewdelhi1@cag.gov.in

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of National Capital Region Planning Board for the year ended 31 March, 2019

We have audited the attached Balance Sheet of National Capital Region Planning Board (NCRPB) as at 31 March 2019 and Income and Expenditure Account/Receipts and Payments Account for the year ended on that date under section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 25 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985. These financial statements are the responsibility of the NCRPB's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report (SAR) contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification; conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosures norms, etc. Audit observation on financial transactions with regard to compliance with the Laws, Rules & Regulations (propriety and regularity) and efficiency-cum-performance aspects etc., if any, are reported through Inspection Report/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (ii) The financial Statements dealt by this report **are not** drawn up in the uniform format prescribed by the Ministry of Finance.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the National Capital Region Planning Board as required under Rule 33 (1 and 2) of the National Capital Region Planning Board Rules, 1985 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that:

(A) Significant Accounting Policies (Schedule 17)

- (1) In compliance to its Accounting Policy 1(d), NCRPB is bifurcating its Receipts and Payments Account and Schedules pertaining to its Income and Expenditure Account in Capital and Revenue. This is inconsistent with the uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance. This point was commented by C&AG in the report for the financial year 2017-18, but no corrective action has been taken by the management.

- (2) Accounting Policy No. 3 states that “All expenses are recognized on accrual basis, except employee’s personal claims/reimbursements, which are taken on cash basis. The above accounting policy is inconsistent with the accrual concept of accounting and the uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance. This point was commented by C&AG in the report for the financial year 2016-17 & 2017-18, but no corrective action has been taken by the management.

(B) Grants-in-Aid


During 2018-19, the NCRPB has received Grants-in-Aid of Rs. 50 crore (Capital) and Rs. 5.56 crore (Salary & General). NCRPB utilized the entire Grants-in-Aid of Rs. 55.56 crore received during the year (as per utilization certificate submitted by the management).

- (v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet and Income and Expenditure Account/ Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- (vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Separate Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
- a) In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the National Capital Region Planning Board as at 31 March 2019; and
- b) In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

Place: New Delhi

Dated: 5 November 2019


5.11.19

(Prachi Pandey)

**Principal Director of Commercial Audit
& ex-officio Member, Audit Board-I,
New Delhi**

ANNEXURE TO SEPARATE AUDIT REPORT

(on the annual accounts of National Capital Region Planning Board (NCRPB) for the year ended on 31 March 2019)

1. Adequacy of Internal Audit System

There is no sanctioned post of internal auditor. It is strongly recommended that the internal audit division may be strengthened commensurate with the operations of the Board. Review of internal audit reports revealed that the scope of internal auditor includes only audit of transactions and accounting entries in respect of efficacy of operations of the Board and compliance to rules and regulations but does not provide any formal assurance regarding the adequacy and effectiveness of internal control over financial reporting. The internal audit was not based on risk analysis and assessment.

2. Adequacy of Internal Control System

Following deficiencies were observed in internal control system of NCRPB:

- a. No Audit committee is being formed to supervise its financial reporting process.
- b. There is no Whistle Blower Policy in NCRPB.
- c. There is no operational, financial and accounting manual or standard operating procedure for effective accounting and control.
- d. There is no approved fraud detection and prevention policy.
- e. NCRPB has not prepared any flow chart listing steps in various operations, procedures and activities which were specific to its working.
- f. During the year 2018-19 no meeting of NCRPB Board was held inspite of NCRPB Rules, 1985 prescribing for atleast once in every six months.

3. System of Physical Verification of Fixed Assets

Committee has physically verified the stock of consumable items as per balances indicating in the stock Register of Consumable and also verified the Fixed Assets as per GFR-22 for the year 2018-19 on 22.04.2019 and found in order with remarks that there is no shortage of items.

4. System of Physical Verification of Inventory

The Physical verification of inventory was carried out in the year 2018-19.

5. Regularity in payment of statutory dues

NCRPB is regular in payment of statutory dues.



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2019 के अनुसार तलन पत्र

| विवरण | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | (राशि ₹ में) पूर्ववर्ती वर्ष |
|--|---------|--------------------|---------------------------------|
| कोष/पूंजी निधि और देयताएँ | | | |
| रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूंजी निधि) | 1 | 52018633411 | 48038828070 |
| विशेष आरक्षित | 2 | 0 | 0 |
| निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडोमेंट) कोष | 3 | 1400 | 1400 |
| सुरक्षित ऋण | 4 | 0 | 0 |
| असुरक्षित ऋण | 5 | 10086737691 | 8161751011 |
| स्थगित ऋण देयताएं | | 0 | 0 |
| चालू देयताएं एवं प्रावधान | 6 | 547759205 | 494120535 |
| कुल | | 62653131707 | 56694701016 |
| परिसम्पत्तियाँ | | | |
| अचल परिसम्पत्तियाँ | 7 | 6344309 | 7434905 |
| भविष्य निधि/एनपीएस का निवेश | 8 | 429925225 | 324162267 |
| एन.सी.आर.टी.सी. मे योगदान-निवेश | 9 | 50000000 | 50000000 |
| चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | 10 | 62166862173 | 56313103844 |
| विविध खर्च (बट्टे खाते न डाली गई या समायोजित न की गई मात्रा तक) | | 0 | 0 |
| योग | | 62653131707 | 56694701016 |
| महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां | 17 | | |
| आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां | 18 | | |

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
दिनांक 31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

| आय | अनुसूची | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
|---|---------|----------------------|----------------------|
| बिक्री/सेवाओं से आय | | 0 | 0 |
| अनुदान/इमदाद (योगदान) | | तुलन पत्र में अंतरित | तुलन पत्र में अंतरित |
| अनुदान/इमदाद (वेतन एवं अन्य) | | 55600000 | 47000000 |
| शुल्क और अभिदान | | 0 | 0 |
| निवेश द्वारा निर्धारित/बंदोबस्ती (एंडोमेंट) निधियों से आय | | 0 | 0 |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रकाशनो की बिक्री से आय | | 1800 | 1350 |
| अर्जित ब्याज़ | 11 | 3911473367 | 3694089612 |
| अन्य आय | 12 | 24333841 | 555627448 |
| तैयार माल के रहतिया (स्टॉक) में वृद्धि/कमी और कार्य में प्रगति | | (1030) | (11553) |
| योग (क) | | 3991407978 | 4296706857 |
| व्यय | | | |
| स्थापना व्यय | 13 | 131129288 | 192086247 |
| अन्य प्रशासनिक व्यय आदि | 14 | 21200824 | 20669292 |
| बाज़ार ऋण पर व्यय | 15 | 358579347 | 1056270326 |
| मूल्यहास अनुसूची 7 के अनुरूप | | 1193982 | 1488900 |
| अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान पर व्यय | | 0 | 0 |
| योग (ख) | | 512103441 | 1270514765 |
| व्यय की तुलना में आय से अधिक शेष (क-ख) | | 3479304537 | 3026192092 |
| पूर्व अवधि व्यय | 16 | (500804) | 1805470 |
| बांड रिडम्प्शन रिज़र्व (बी.आर.आर.) में अंतरित | | 0 | 1210000000 |
| उप योग | | (500804) | 1211805470 |
| व्यय की तुलना में आय की निवल अधिकता रा.रा.क्षे.यो.बो.निधि में अंतरित | | 3479805341 | 1814386622 |
| महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियां | 17 | | |
| आकस्मिक देयताएं और लेखों पर टिप्पणियां | 18 | | |

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान

| प्राप्तियाँ | वर्तमान वर्ष | | | पूर्ववर्ती वर्ष | | |
|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | कुल | पूँजी | आय | कुल | पूँजी | आय |
| I. आरम्भिक शेष | | | | | | |
| क) हाथ में रोकड़ | 8000 | 8000 | 0 | 13303 | 13303 | 0 |
| ख) बचत खाते में शेष | 276106557 | 276106557 | 0 | 5706126076 | 5706126076 | 0 |
| ग) भविष्य निधि बचत खाते में शेष | 3014840 | 3014840 | 0 | 1535736 | 1535736 | 0 |
| घ) (एनपीएस) बचत खाते में शेष | 0 | 0 | 0 | 838 | 838 | 0 |
| ड) नकद एवं नकद तुल्य | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उप योग | 279129777 | 279129777 | 0 | 5707675953 | 5707675953 | 0 |
| II) प्राप्त अनुदान | | | | | | |
| क) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से | 555600000 | 500000000 | 55600000 | 547000000 | 500000000 | 47000000 |
| ख) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से आर.आर.टी.एस. अध्ययन के लिए | 0 | 0 | 0 | 3363371 | 3363371 | 0 |
| III) निवेश पर आय (पीएफ/एनपीएस व सेवानिवृत्ति लाभ निधि) | | | | | | |
| क) बचत खाते पर ब्याज | 152348 | 0 | 152348 | 90080 | 0 | 90080 |
| ख) भविष्य निधि/सेवानिवृत्ति निधि पर ब्याज | 18299567 | 0 | 18299567 | 3109160 | 0 | 3109160 |
| IV) प्राप्त ब्याज | | | | | | |
| क. राज्य सरकारों/एजेंसियों को दिए ऋण पर ब्याज | 2954948559 | 2954948559 | 0 | 2125286613 | 2125286613 | 0 |
| ख. बचत बैंक | 70159810 | 70159810 | 0 | 79228526 | 79228526 | 0 |
| ग. बैंक जमा पर | 770039670 | 770039670 | 0 | 1487086645 | 1487086645 | 0 |
| घ) स्टाफ ऋण पर प्राप्त ब्याज | 217910 | 0 | 217910 | 232323 | 0 | 232323 |
| ड) आयकर वापसी पर ब्याज | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V) OTHER INCOME | | | | | | |
| क. रा.रा.क्ष. प्रकाशनों की बिक्री | 1800 | 1800 | 0 | 1350 | 1350 | 0 |
| ख. विविध प्राप्तियाँ | 2000 | 2000 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| ग. सूचनाधिकार (आर.टी.आई.) शुल्क | 2096 | 0 | 2096 | 3523 | 0 | 3523 |
| घ. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ड. भर्ती के लिए आवेदन शुल्क | 21200 | 5100 | 16100 | 7700 | 0 | 7700 |
| च) सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छ) पुराने समाचार पत्र की बिक्री | 2360 | 0 | 2360 | 1240 | 0 | 1240 |
| ज) ऋण पर पूर्व भुगतान शुल्क | 0 | 0 | 0 | 3302159 | 3302159 | 0 |
| VI) उधार ली गई धनराशि | | | | | | |
| क) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ख) के.एफ.डब्ल्यू (जर्मन द्विपक्षीय) से ऋण | 2791681776 | 2791681776 | 0 | 438000000 | 438000000 | 0 |
| VII) अन्य प्राप्तियाँ | | | | | | |
| क) राज्य सरकारों द्वारा ऋण की वापसी | 3295708599 | 3295708599 | 0 | 3542055743 | 3542055743 | 0 |
| ख) ऋण पर अधिक वापसी | 122055 | 122055 | 0 | 122055 | 122055 | 0 |
| ग) भुनाई गई सावधि जमा | 64799999900 | 64799999900 | 0 | 63237000000 | 63237000000 | 0 |
| घ) भविष्य निधि/एन.पी.एस. निवेशों की परिपक्वता | 304634342 | 0 | 304634342 | 175877126 | 0 | 175877126 |
| ड) बयाना राशि/ जमानत राशि | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| च) स्टाफ से अग्रिम की वसूली | 508746 | 0 | 508746 | 1012579 | 0 | 1012579 |
| छ) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली | 340455 | 0 | 340455 | 901968 | 0 | 901968 |
| ज) जी.आई.एस. धनराशि की वसूली/एलआईसी से प्राप्तियाँ | 22350 | 0 | 22350 | 25526 | 0 | 25526 |
| झ) जी.पी.एफ. अंशदान/अग्रिम/वापसी | 5911522 | 0 | 5911522 | 5445600 | 0 | 5445600 |
| ण) एन.पी.एस. वसूली | 682476 | 0 | 682476 | 529455 | 0 | 529455 |
| ट) रा.रा.क्ष.यो. बोर्ड द्वारा स्रोत पर कर कटौती | 6309114 | 0 | 6309114 | 4182132 | 0 | 4182132 |
| ठ) संगोष्ठी (सेमिनार) और प्रशिक्षण अग्रिम/शुल्क की वापसी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ड) स्टाफ कार के प्रयोग से सम्बंधित वसूली | 5600 | 0 | 5600 | 8209 | 8209 | 0 |
| ढ) अवकाश वेतन एवं सेवानिवृत्ति योगदान | 619783 | 0 | 619783 | 18032 | 0 | 18032 |
| ण) आयकर वापसी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| त) बयाना / सुरक्षा जमा | 152000 | 152000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| योग | 75855275815 | 75461951046 | 393324769 | 77361567167 | 77123130823 | 238436543 |

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियां एवं भुगतान

| भुगतान | चालू वर्ष | | | पूर्ववर्ती वर्ष | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | कुल | पूजी | आय | कुल | पूजी | आय |
| I. व्यय | | | | | | |
| क) स्थापना व्यय (अनुसूची 13 के अनुरूप) | 97095362 | 49352090 | 47743272 | 90125317 | 33357439 | 56767878 |
| ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 14 और 20 के अनुरूप) | 26162644 | 13884522 | 12278122 | 19339071 | 9437281 | 9901790 |
| ग) बाजार उधारी पर व्यय (अनुसूची 15 के अनुरूप) | 299618719 | 299618719 | 0 | 682993499 | 682993499 | 0 |
| II. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) को प्रदान किया गया ऋण | 9934419000 | 9934419000 | 0 | 16954296000 | 16954296000 | 0 |
| III. किए गए निवेश और जमा | | | | | | |
| क) सावधि जमा (एफ.डी.आर.) में निवेशित राशि | 60909999900 | 60909999900 | 0 | 53087000000 | 53087000000 | 0 |
| ख) भविष्य निधि/एनपीएस/सेवानिवृत्त लाभ | 4069000000 | 0 | 4069000000 | 304634342 | 0 | 304634342 |
| IV. अचल परिसम्पत्तियों पर व्यय | | | | | | |
| क) अचल परिसम्पत्तियों का क्रय | 91850 | 91850 | 0 | 1506618 | 1506618 | 0 |
| V. राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि/ऋणों की वापसी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. ऋणों व अग्रिमों का भुगतान | | | | | | |
| क) स्टाफ को विविध अग्रिम | 1288649 | 0 | 1288649 | 1055405 | 0 | 1055405 |
| ख) जी.पी.एफ. से अग्रिम/आहरण | 4530200 | 0 | 4530200 | 3314605 | 0 | 3314605 |
| ग) प्रशिक्षण एवं सम्मेलन अग्रिम | 0 | 0 | 0 | 51578 | 51578 | 0 |
| घ) किसी अन्य को अग्रिम | 0 | 0 | 0 | 7134168 | 0 | 7134168 |
| VII. अन्य भुगतान | | | | | | |
| क) रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड के बांडों का विमोचन | 0 | 0 | 0 | 5000000000 | 5000000000 | 0 |
| ख) मूलधन की वापसी (ए.डी.बी./केएफडब्ल्यू ऋण) | 902098171 | 902098171 | 0 | 848035663 | 848035663 | 0 |
| ग) अतिरिक्त प्राप्तियों की वापसी | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| घ) बयाना/सुरक्षा जमा | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ङ) उधारकर्ता अभिकरणों (एजेंसियों)/बैंकों द्वारा स्रोत पर कर कटौती | 180909587 | 0 | 180909587 | 49130413 | 49130413 | 0 |
| च) सामूहिक बीमा योजना राशि का भुगतान | 27255 | 0 | 27255 | 27821 | 0 | 27821 |
| छ) रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड द्वारा जमा कराया गया टीडीएस | 5003465 | 0 | 5003465 | 28828204 | 25056835 | 3771369 |
| ज) प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली | 410516 | 0 | 410516 | 978100 | 0 | 978100 |
| झ) नई पेंशन योजना के लिए भुगतान | 727597 | 0 | 727597 | 623595 | 0 | 623595 |
| ञ) आर.आर.टी.एस. अध्ययन के लिए भुगतान | 0 | 0 | 0 | 3363371 | 3363371 | 0 |
| VIII. अंतिम शेष | | | | | | |
| क) हाथ में रोकड़ | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 |
| ख) बचत खाते में बैंक शेष | 3085188020 | 3085188020 | 0 | 276106557 | 276106557 | 0 |
| ग) पी.एफ. बचत खाते में बैंक शेष | 663470 | 663470 | 0 | 3014840 | 3014840 | 0 |
| घ) एन.पी.एस. बचत खाते में बैंक शेष | 1410 | 1410 | 0 | | | |
| योग | 75855275815 | 75195457152 | 659818663 | 77361567167 | 76973358094 | 388209073 |

ह/-

वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-

निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-

सदस्य सचिव



अनुसूची-1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

| | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
|--|--------------------|--------------------|
| <u>रा.रा.क्षे.यो.बोर्ड निधि (कोष/पूँजी निधि)</u> | | |
| वर्ष के शुरु में शेष | 48038828070 | 40724441448 |
| जोड़ें: आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अंशदान | 500000000 | 500000000 |
| जोड़ें: व्यय पर निवल आय से अंतरण | 3479805341 | 1814386622 |
| जोड़ें: बी.आर.आर. से अंतरित | 0 | 5000000000 |
| वर्ष समाप्ति पर शेष | 52018633411 | 48038828070 |

अनुसूची - 2

(राशि ₹ में)

| | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
|---|--------------|-----------------|
| <u>विशेष आरक्षित</u> | | |
| 1. बांड विमोचन (रिडम्प्शन) रिजर्व | | |
| पिछले लेखों के अनुसार | 0 | 3790000000 |
| वर्ष के दौरान जमा | 0 | 1210000000 |
| घटाएं: रा.रा.क्षे.यो. बोर्ड निधि फंड में कर योग्य बांड के विमोचन के | | |
| पश्चात् अंतरित | 0 | (5000000000) |
| वर्ष समाप्ति पर शेष | 0 | 0 |

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

| निर्धारित (एंडोमेंट) निधि | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
|--|--------------|-----------------|
| (क) आरआरटीएस कॉरीडोर की डीपीआर तैयार करने हेतु अध्ययन के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से अनुदान | | |
| वर्ष के प्रारम्भ में शेष | 1400 | 1400 |
| जोड़े: वर्ष के दौरान आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अनुदान | 0 | 3363371 |
| उप योग | 1400 | 3364771 |
| (ख) आरआरटीएस अध्ययन हेतु किए गये व्यय | | |
| - परामर्शदाता को आर.आर.टी.एस. अध्ययन हेतु दिया गया शुल्क | 0 | 3363371 |
| वर्ष समाप्ति पर निवल शेष (क- ख) | 1400 | 1400 |

अनुसूची-4

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

| सुरक्षित ऋण तथा उधार | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
|---|--------------|-----------------|
| निजी स्थापित बांड | | |
| राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड बॉण्ड | 0 | 0 |
| योग | 0 | 0 |

अनुसूची - 5

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

(राशि ₹ में)

| असुरक्षित ऋण तथा उधार | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
|--|--------------------|-------------------|
| क) एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण | 3870545692 | 3724130892 |
| ख) के.एफ.डब्लू (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी) से ऋण | 6216191999 | 4437620119 |
| योग | 10086737691 | 8161751011 |

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसर्चियां

अनुसर्ची - 6

(राशि ₹ में)

| | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
|---|------------------|------------------|
| वर्तमान देयताएँ व प्रावधान | | |
| साम्बन्धिक देयताएँ | | |
| 1. सामान्य भविष्य निधि | 41809788 | 36956268 |
| 2. जीआईएस निधि | 1935 | 1425 |
| 3. प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूली | 0 | 85116 |
| 4. स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) | 2082457 | 415555 |
| 5. अतिदेय | 0 | 202500 |
| 6. एनपीएस मे बोर्ड का योगदान | 678351 | 45121 |
| उप योग | 44572531 | 37705985 |
| उधार पर उपार्जित ब्याज परंतु देय नहीं: | | |
| 1. एशियाई विकास बैंक (ए.डी.बी.) से ऋण पर ब्याज जमा | 18046648 | 9749298 |
| 2. के.एफ.डब्ल्यू (जर्मन बैंक) से ऋण पर ब्याज जमा | 30551316 | 20557606 |
| उप योग | 48597964 | 30306904 |
| अन्य वर्तमान देयताएँ | | |
| 1. देय खर्च | 9622874 | 5761518 |
| 2. बयाना | 0 | 496965 |
| 3. राज्य सरकारों/अभिकरणों (एजेंसियों) से ऋणों पर अधिक प्राप्तियां | 542602 | 682960 |
| 4. अग्रिम ब्याज प्राप्ति | 122055 | 122055 |
| उप-योग | 10287531 | 7063498 |
| प्रावधान: | | |
| 1. <u>कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों के लिए</u> | | |
| क) ग्रेच्युटी | 30116300 | 27601342 |
| ख) पेंशन (वर्तमान) | 6365372 | 4923819 |
| ग) पेंशन (सेवा निवृत्त) | 289446132 | 280535914 |
| घ) संचित छुट्टी नकदीकरण | 27885086 | 23436007 |
| ड:) चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान) | 622569 | 581342 |
| च) चिकित्सकीय लाभ (सेवा निवृत्त) | 48312960 | 42351607 |
| उप-योग | 402748419 | 379430031 |
| 2. <u>रा.रा.क्षे. सेल हेतु देय व्यय का प्रावधान</u> | 41552760 | 36844145 |
| उप-योग | 41552760 | 36844145 |
| 3. <u>अन्य प्रावधान</u> | | |
| क) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर प्रतिबद्धता प्रभार | 0 | 2769972 |
| ख) केएफडब्ल्यू ऋणों पर गारंटी शुल्क | 0 | 0 |
| ग) अवसंरचना परियोजना हेतु अनुदान | 0 | 0 |
| उप-योग | 0 | 2769972 |
| कुल योग | 547759205 | 494120535 |

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



अनुसूची 7

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

(राशि ₹ में)

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार अचल सम्पत्तियों का विवरण

| विवरण | दिनांक 01.04.2017 को हासिल मूल्य | | Addition before 180 days | | सकल ब्लॉक | | वर्ष के दौरान | | वर्ष के शुरु के अनुसार | वर्ष के दौरान संवर्धन | वर्ष की समाप्ति पर कुल योग | निवल ब्लॉक | |
|-----------------------|----------------------------------|---------|--------------------------|---------|------------------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| | दिनांक 01.04.2017 को हासिल मूल्य | 3723347 | 0 | 0 | 180 दिन के बाद संवर्धन | कुल संवर्धन | वर्ष के दौरान | वर्ष की समाप्ति पर लागत | | | | वर्ष के दौरान | वर्ष की समाप्ति पर कुल योग |
| कार्यालय स्थान आईएचसी | | | | | | | | | | | | | |
| वाहन | 993371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993371 | 149006 | 0 | 149006 | 844365 | 993371 |
| फर्नीचर/फिक्सचर | 711170 | 21240 | 19936 | 41176 | 41176 | 41176 | 0 | 752346 | 71118 | 3121 | 74239 | 678107 | 711170 |
| कार्यालय उपकरण | 909173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909173 | 136378 | 0 | 136378 | 772795 | 909173 |
| कम्प्यूटर/पैरीफरल | 1082535 | 49845 | 9990 | 59835 | 59835 | 59835 | 0 | 1142370 | 433014 | 21936 | 454950 | 687420 | 1082535 |
| पुस्तकालय की पुस्तकें | 15309 | 2375 | 0 | 2375 | 2375 | 2375 | 0 | 17684 | 6124 | 950 | 7074 | 10610 | 15309 |
| योग | 7434905 | 73460 | 29926 | 103386 | 103386 | 103386 | 0 | 7538291 | 1167975 | 26007 | 1193982 | 6344309 | 7434905 |
| मिळते वर्ष | 7331821 | 114353 | 1481569 | 1595922 | 1595922 | 1595922 | 3938 | 8923805 | 1070687 | 418213 | 1488900 | 7434905 | 7331821 |

र/- वित्त एवं लेखा अधिकारी

र/- निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

र/- सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

| | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
|---|------------------|------------------|
| (राशि ₹ में) | | |
| निवेश - अन्य | | |
| (क) भविष्य निधि निवेश | | |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियां | 3411385 | 3411385 |
| 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (बैंक में एफडीआर) | 36400000 | 30100000 |
| 3. अन्य | | |
| भविष्य निधि निवेश पर जमा ब्याज | 1275996 | 339833 |
| सेविंग बैंक में जमा राशि | 663470 | 3014840 |
| उप-योग | 41750851 | 36866058 |
| (ख) सेवानिवृत्ति लाभ निधि | | |
| बैंक में सावधि जमा | 373000000 | 277034342 |
| निवेश पर जमा ब्याज | 15174374 | 10261867 |
| उप योग | 388174374 | 287296209 |
| सकल योग | 429925225 | 324162267 |

अनुसूची - 9

31.3.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

| | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
|---|-----------------|-----------------|
| (राशि ₹ में) | | |
| निवेश - योगदान | | |
| निवेश-एनसीआर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में योगदान | 50000000 | 50000000 |
| कुल योग | 50000000 | 50000000 |

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



अनुसूची - 10

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में अनुसूचियां

| | वर्तमान वर्ष | (राशि ₹ में) पूर्ववर्ती वर्ष |
|---|--------------------|---------------------------------|
| वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि | | |
| क. वर्तमान परिसंपत्तियां: | | |
| 1. रा.रा.क्षे. पुस्तकों और प्रकाशन का स्टॉक | 250459 | 251489 |
| 2. लेखन सामग्री का स्टॉक | 132052 | 359030 |
| 3. विविध देनदार: | | |
| क) अशोध्य और संदिग्ध ऋण | 98361 | 98361 |
| उप योग | 480872 | 708880 |
| 4. हाथ में नकद शेष | 0 | 0 |
| 5. बैंक बैलेंस | | |
| अनुसूचित बैंकों के पास: | | |
| - बचत खाता/चालू खाता | 3085188020 | 276106557 |
| - पूर्वदत्त कार्ड (कोर्पोरेशन बैंक) | 0 | 8000 |
| - निवेश (एफडीआर) - अन्य | 7600000000 | 11490000000 |
| उप योग | 10685188020 | 11766114557 |
| योग (क) | 10685668892 | 11766823437 |
| ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसंपत्तियां | | |
| 1. ऋण: | | |
| क) स्टाफ को अग्रिम | 1950 | 1950 |
| ख) अन्य अग्रिम | | |
| i) यात्रा अग्रिम | 52000 | 102040 |
| ii) एलटीसी अग्रिम | 130555 | 95855 |
| iii) विविध अग्रिम | 101495 | 67524 |
| उप-योग | 284050 | 265419 |
| ग) राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों | 48976815565 | 42338105164 |
| 2. वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि | | |
| क) पूर्वदत्त व्यय | 17478 | 697805 |
| ख) वसूली योग्य अग्रिम आयकर और स्रोत पर कर (टीडीएस) (कर का निवल प्रावधान) | 935531566 | 725242870 |
| ग) सेमिनार/बैठक अग्रिम | 219600 | 219600 |
| घ) अन्य (एमटीएनएल और जीएमटी के पास जमानत) | 14648 | 26648 |
| ड) प्राप्त होने वाला आरटीआई शुल्क | 1410 | 380 |
| उप योग | 935784702 | 726187303 |
| 3. उपाजित आय | | |
| क) सावधि जमा पर अर्जित किन्तु अप्राप्त ब्याज | 54293135 | 128187886 |
| ख) कार्यान्वयन एजेंसियों व राज्यों को दिए ऋण पर अर्जित ब्याज | 1504907230 | 1338919616 |
| ग) स्टाफ ऋण पर अर्जित ब्याज | 292161 | 332532 |
| घ) बचत खाते पर अर्जित ब्याज | 8814488 | 14280537 |
| उप-योग | 1568307014 | 1481720571 |
| कुल (ख) | 51481193281 | 44546280407 |
| कुल (क+ख) | 62166862173 | 56313103844 |

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारीह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2019 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

| | | (राशि ₹ में) | |
|----|--|-------------------|-------------------|
| | | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
| | अर्जित ब्याज | | |
| | पूजी | | |
| 1 | सावधि जमा पर: | | |
| क) | अनुसूचित बैंकों के पास | 698981611 | 995948235 |
| ख) | गैर अनुसूचित बैंकों के पास | 0 | 0 |
| ग) | संस्थानों के पास | 0 | 0 |
| घ) | अन्य | 0 | 0 |
| 2 | बचत खातों पर: | | |
| क) | अनुसूचित बैंकों के पास | 64693760 | 87334090 |
| ख) | गैर अनुसूचित बैंकों के पास | 0 | 0 |
| ग) | डाकघर बचत खाते | 0 | 0 |
| घ) | अन्य | 0 | 0 |
| 3 | ऋणों पर: | | |
| क) | राज्य सरकार/उनके अभिकरणों (एजेंसियों) द्वारा प्राप्त ऋण पर ब्याज | 3147519635 | 2610193070 |
| ख) | कर्मचारियों/स्टाफ को दीर्घ अवधि ऋणों पर ब्याज | 197350 | 0 |
| ग) | राज्य सरकार/उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को ऋण पर दंडस्वरूप ब्याज | 81011 | 614217 |
| | कुल | 3911473367 | 3694089612 |

अनुसूची 12

| | | (राशि ₹ में) | |
|-----|--|-----------------|------------------|
| | | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
| | अन्य आय | | |
| | पूजी | | |
| क) | विविध आय | 2000 | 0 |
| ख) | अत्यधिक प्रावधान | 0 | 1207410 |
| ग) | अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदान का प्रावधान | 0 | 537375750 |
| घ) | राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए ऋण का पूर्व भुगतान शुल्क | 0 | 3302159 |
| ड.) | भर्ती के लिए शुल्क | 5100 | 0 |
| | उप योग | 7100 | 541885319 |
| | आय | | |
| च) | पी.एफ./एन.पी.एस./सेवा निवृत्ति लाभ के निवेश पर आय | | |
| | पीएफ निवेशों पर ब्याज | 2848066 | 1831580 |
| | सेवा निवृत्ति निधि के निवेश पर ब्याज | 21302503 | 11796572 |
| | पीएफ के बचत खातों पर ब्याज | 150016 | 92256 |
| | एनपीएस बचत खातों पर ब्याज | 0 | 9 |
| छ) | भर्ती हेतु आवेदन शुल्क | 16100 | 7700 |
| ज) | स्टाफ कार के प्रयोग पर वसूली | 5600 | 8909 |
| झ) | आरटीआई शुल्क | 2096 | 3763 |
| त) | विविध आय | 2360 | 1340 |
| | उप योग | 24326741 | 13742129 |
| | कुल | 24333841 | 555627448 |

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2019 का समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

| | (राशि ₹ में) | |
|--|------------------|------------------|
| स्थापना व्यय | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
| पंजी | | |
| क) वेतन और मजूदरी (आंतरिक जमा से भुगतान) | 7562953 | 9212396 |
| अन्य | | |
| ख) एनसीआर क्षेत्र प्रकोष्ठों पर व्यय का प्रावधान | 41552760 | 36844145 |
| उपयोग | 49115713 | 46056541 |
| आय | | |
| वेतन | 32689276 | 27175421 |
| भत्ते एवं बोनस | 11296160 | 11468098 |
| एनपीएस में योगदान | 638885 | 529455 |
| अन्य | | |
| लीव सैलरी एवं पेंशन योगदान | 547180 | 878187 |
| जीपीएफ खाते पर ब्याज | 2924598 | 2511685 |
| भर्ती व्यय | 265927 | 122833 |
| संपदा निदेशालय को दिया गया लाइसेंस शुल्क | 201605 | 397030 |
| समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें | 40609 | 50090 |
| प्रावधान | | |
| ग्रेचुइटी का प्रावधान | 2514958 | 1713904 |
| संचित अवकाश नकदीकरण का प्रावधान | 4414319 | 816224 |
| पेंशन (वर्तमान) का प्रावधान | 7050993 | 5193768 |
| पेंशन (सेवा निवृत्त) का प्रावधान | 8910218 | 52240062 |
| चिकित्सकीय लाभ (वर्तमान) का प्रावधान | 4557495 | 581342 |
| चिकित्सकीय लाभ (सेवा निवृत्त) का प्रावधान | 5961352 | 42351607 |
| उप-योग | 82013575 | 146029706 |
| कुल | 131129288 | 192086247 |

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारीह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

| | | (राशि ₹ में) | |
|--|-----------------|-----------------|--|
| अन्य प्रशासनिक व्यय | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष | |
| पंजी | | | |
| एनसीआर पुस्तकें और प्रकाशन की लागत | 0 | 0 | |
| अध्ययन और सर्वेक्षण | 94615 | 2317600 | |
| विज्ञापन और प्रचार | 101446 | 99769 | |
| बोर्ड/अन्य बैठकों पर हुआ व्यय | 103544 | 1377882 | |
| लेखा परीक्षा शुल्क - एडीबी/केएफडब्ल्यू परियोजनाओं पर | 0 | 345785 | |
| संगोष्ठी और प्रशिक्षण | 0 | 20600 | |
| प्रोफेशनल शुल्क | 3715942 | 2791971 | |
| यात्रा प्रभार (योजना) | 0 | 200476 | |
| हाउस कीपिंग सेवाएँ | 4121434 | 3089390 | |
| उप-योग | 8136981 | 10243473 | |
| आय | | | |
| विद्युत् एवं जल प्रभार | 197595 | 202653 | |
| हाउस्कीपिंग/सिक्युरिटी प्रभार | 907085 | 879077 | |
| मरम्मत एवं रखरखाव | 2153185 | 2840998 | |
| किराया, दर एवं कर | 3306326 | 377645 | |
| वाहन चलाने और रखरखाव | 414667 | 377574 | |
| डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क | 971994 | 1074815 | |
| प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी | 767489 | 737407 | |
| यात्रा और वाहन व्यय | 537049 | 577235 | |
| संगोष्ठी/कार्यशाला/बैठक पर खर्च | 80240 | 51000 | |
| कानूनी शुल्क पर खर्च | 434806 | 599455 | |
| लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक | 438760 | 354085 | |
| आतिथ्य व्यय | 380633 | 284874 | |
| प्रोफेशनल शुल्क | 2152946 | 1660411 | |
| अन्य | 321068 | 408590 | |
| उप-योग | 13063843 | 10425819 | |
| कुल | 21200824 | 20669292 | |

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारीह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

| बाजार उधारी पर व्यय पूजा | (राशि ₹ में) | |
|---|--------------|-----------------|
| | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
| क) बॉन्ड पर ब्याज | 0 | 148630126 |
| ख) लिस्टिंग शुल्क | 0 | 34500 |
| ग) रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंट प्रभार | 0 | 0 |
| घ) ट्रस्टीशिप फीस | 0 | 9532 |
| ङ) पीएमसी सेवाओं पर व्यय | 8036425 | 5478711 |
| च) रेटिंग एजेंसियों की निगरानी फीस | 0 | 438208 |
| छ) एनएसडीएल/सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियल फीस | 886 | 172500 |
| ज) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर ब्याज | 212891856 | 142174394 |
| झ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर प्रतिबद्धता शुल्क | 4212790 | 11718047 |
| ञ) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋणों पर विनिमय दरों में अंतर | 35403075 | 672404472 |
| ट) एनएसडीएल/सीडीएसएल प्रभार | 0 | 2883 |
| ठ) भुगतान पर बैंक प्रभार (डाक एवं अन्य) | 93303 | 70842 |
| ड) एडीबी/केएफडब्ल्यू ऋण पर गारंटी शुल्क | 97941012 | 75136111 |
| कुल | 358579347 | 1056270326 |

31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय के भाग के रूप में अनुसूची

| पूर्वअवधि व्यय (निवल) | (राशि ₹ में) | |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| | वर्तमान वर्ष | पूर्ववर्ती वर्ष |
| क) एनसीआर सेल पर व्यय | 4119865 | 1805470 |
| ख) एनसीआर सेल (वापस किए गए प्रावधान) | (3780846) | 0 |
| ग) बॉन्ड पर ब्याज-2002-03 (IACL) | (202500) | 0 |
| घ) बयाना रकम | (496965) | 0 |
| ङ) प्रतिबद्धता शुल्क, हरियाणा | (140358) | 0 |
| कुल | (500804) | 1805470 |

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.3.2019 के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न महत्वपूर्ण लेखा प्रणाली नीतियाँ।

1. लेखा संविद:

क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के वार्षिक लेखे ऐतिहासिक लागत पद्धति और प्रोद्भवन लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किए जाते हैं, जब तक नीचे वर्णित लेखा प्रणाली नीतियों में अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड के खातों को लेखापरीक्षा के प्रमुख निदेशालय, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के निर्देशानुसार केंद्रीय स्वायत्त निकायों के लिए जारी खातों के प्रारूप में बनाया गया है।

ग) वार्षिक लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को नजदीकी मूल्य तक पूर्णांकित किया गया है।

घ) चूंकि वर्ष 2017-18 से योजना-गैर योजना का विलय किया गया है, इसलिए योजना और गैर-योजना के खाता शीर्ष को क्रमशः पूंजी और राजस्व के रूप में दिखाया जा रहा है।

ड) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी का लेखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है, जहां "अंशदान" अनुदान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना निधि में हस्तांतरित किया जाता है और अनुदान-सहायता (सामान्य और वेतन) का उपयोग इसके निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है।

2. आय निर्धारण

क) सभी आय को प्रोद्भवन आधार पर खातों में समाविष्ट किया गया है।

ख) पिछले वर्षों से संबंधित आय को अलग से पूर्व-अवधि मदों में लिया गया है।

3. व्यय की मान्यता

क) कर्मचारियों के वैयक्तिक दावों/प्रतिपूर्तियाँ, जो नकद में लिए जाते हैं, के अलावा सभी व्ययों को प्रोद्भवन आधार पर लिया गया है;

ख) सभी पूर्व-अवधि व्यय जिनको चालू वर्ष में किया गया है उन्हें अलग कर पूर्वावधि व्यय (मद) के अंतर्गत दिखाया गया है।

4. अचल परिसम्पत्ति:

क) अचल परिसम्पत्तियाँ मूल्यहास घटाने के पश्चात हासित मूल्य पर बताई गई है;

ख) वर्ष के दौरान किसी भी परिसम्पत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया।

5. अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत निर्धारित दर के अनुसार ह्रासित मूल्य पद्धति से प्रभारित किया गया है। मूल्यहास आय-व्यय लेखा में प्रभारित किया गया है। मूल्यहास की दर अनुसूची 7 में दर्शायी गई है।

6. सेवा निवृत्ति लाभ:

क) बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बीमांकिक आधार पर एनसीआरपीबी कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ अर्थात् अर्जित अवकाश नकदीकरण, ग्रेच्युटी और पेंशन तथा चिकित्सा सुविधाओं/लाभ के लिए आवश्यक प्रावधान 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखों तथा तुलन पत्र में किए गए हैं। वार्षिक प्रावधान, बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से तैयार किए जाते हैं। लेखा सिद्धांत-15 के अनुसार, सेवानिवृत्ति लाभों के अंतर्गत पेंशन के प्रावधान को पेंशन (वर्तमान) 12 माह में देय और पेंशन (गैर-वर्तमान) में 12 माह के उपरांत देय के लिए विभाजित किया गया है।

ख) बोर्ड सामान्य भविष्य निधि लेखे का रखरखाव कर रहा है जिसे पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। संगत वर्ष में भविष्य निधि संबंधी ब्याज की देनदारियां राजस्व से प्रभारित की गई हैं और बोर्ड के भविष्य निधि खाते में अंतरित की गई हैं।

ग) नई पेंशन योजना निधि:

सरकार ने 01.01.2004 से केन्द्र सरकार की सेवा में नई भर्ती वालों के लिए एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) शुरू की है। इसके तहत कर्मचारी द्वारा वेतन और मंहगाई भत्ते का 10% मासिक अंशदान करना होता है और इतना ही केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। तदनुसार नई पेंशन योजना निधि का सृजन राष्ट्रीयकृत बैंक में मासिक अंशदान को रखते हुए उन कर्मचारियों के संबंध में किया गया है जिनकी नियुक्ति बोर्ड में 01.01.2004 से हुई है। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, ने दिनांक 17.08.2009 के का.जा. द्वारा अनुदेश जारी किए गए थे कि एनपीएस की परिधि में आने वाले सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप में नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई में पंजीकृत किया जाए। इसके अनुपालन में, सितम्बर 2009 में नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड में आवश्यक पंजीकरण कराया गया। नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड द्वारा जारी अनुदेश के अनुसार, एनपीएस की परिधि में आए बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2009-10 के दौरान एनपीएस निधियां नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड को अंतरित की गई हैं।

बोर्ड कर्मचारियों से वसूले गए मासिक अंशदान और बोर्ड द्वारा इसके बराबर की राशि को नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई को भेज रहा है। बोर्ड के कर्मचारियों के संबंध में एनपीएस निधि का रख-रखाव अब नेशनल स्क्रियूरिटी डिपॉज़िटरी लिमिटेड, सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, मुम्बई द्वारा किया जा रहा है।

घ) सामूहिक बीमा देनदारियां

वर्ष 2005-06 के दौरान बोर्ड ने एलआईसी के साथ सामूहिक बीमा योजना नामक एक पॉलिसी ली ताकि किसी भी तरह की देयता को उत्पन्न होते ही पूरा किया जा सके। बोर्ड कर्मचारियों के वेतन से आवश्यक कटौती करके हर महीने एलआईसी को भेजता है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति और इस्तीफे पर, उनके दावों को एलआईसी को अग्रेषित किया जाता है, जिससे पॉलिसी के तहत ब्याज सहित बचत लाभ एवं बीमा कवर, जहां कहीं भी लागू हो, का भुगतान किया जा सके।

7. इवेंटरी (रहतिया):

(क) **एनसीआर पुस्तकें एवं प्रकाशन:-** बेची गई और मानार्थ प्रति के रूप में निःशुल्क वितरित की गई एनसीआर पुस्तकों एवं प्रकाशनों की लागत आय-व्यय लेखा में प्रभारित की जाती है तथा पुस्तकों के क्रय से प्राप्त राशि को एनसीआर पुस्तकों और प्रकाशनों से प्राप्त आय के रूप में दर्शाया जाता है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर अनबिकी पुस्तकों के स्टॉक का लागत-मूल्य के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है और तुलन पत्र में दर्शाया जाता है।

(ख) वित्त वर्ष की समाप्ति पर शेष स्टेशनरी का लागत मूल्य पर मूल्यांकन तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है।

8. अध्ययन एवं सर्वेक्षण:

अध्ययन और सर्वेक्षणों पर होने वाले सभी व्यय (निर्धारित निधि से किए गए अध्ययन व्ययों को छोड़कर) आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किए जाते हैं।

9. निर्धारित / एंडोमेंट निधि:

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (भूतपूर्व शहरी विकास मंत्रालय) ने अपने पत्र दिनांकित 09.03.2010 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है कि आरआरटीएस के तीन कोरीडोर के डीपीआर बनाने हेतु अध्ययन का वित्त पोषण मंत्रालय की अर्बन ट्रांसपोर्ट प्लानिंग योजना की निधि से किया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (शहरी विकास मंत्रालय) से आरआरटीएस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए अनुदान के रूप में प्राप्त निधि को निर्धारित निधि के अंतर्गत दिखाया गया है।

10. एनसीआर योजना और निगरानी प्रकोष्ठ:

बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, सभी एनसीआर सेल द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के बाद सभी चार एनसीआर सेल को निर्धारित सीलिंग के अनुसार कार्यालय के आवर्ती खर्चों तथा वेतन और भत्ते के भुगतान की सभी लागतों की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य सरकार को एनसीआरपीबी द्वारा की जाती है। ये दावे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद बोर्ड को प्रस्तुत किए जाते हैं और वित्तीय वर्ष के लेखों में उचित प्रावधान किया

जाता है, तथा अगर ये दावे वित्त वर्ष के समाप्ति के बाद प्राप्त होते हैं तो इसके लिए एन.सी.आर. प्रकोष्ठों से प्राप्त विगत दावों के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

11. आयकर:

उपयुक्त आयकर प्राधिकरण अर्थात् वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, आयकर महानिदेशक (छूट), नई दिल्ली के आदेश सं डीजीआईटीई(ई)10(23सी)(iv)/2008 दिनांक 02.5.2008 के द्वारा वर्ष 2003-04 के बाद से एनसीआरपीबी, आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23सी)(iv) के उप खण्ड(iv) के अंतर्गत आयकर देने से छूट प्राप्त है। इसे देखते हुए बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर देने का कोई प्रावधान नहीं दिया गया है।

12. अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए अनुदान:

एनसीआर प्लानिंग बोर्ड द्वारा दिनांक 22.03.2012 को संपन्न अपनी 32वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था कि रा.रा.क्षे. तथा समसुविधा संपन्न क्षेत्रों में संस्वीकृत जल, सीवरेज तथा जल निकासी की परियोजनाओं की लागत की 15% तक राशि बोर्ड अनुदान सहायता के रूप में प्रदान करेगा। जल, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर की सभी परियोजनाएं जो पीएसएमजी (PSMG) द्वारा 01.04.2012 तथा इसके बाद 46वीं बैठक (04.08.2011 को संपन्न) के बाद स्वीकृत की गई हैं, जिनमें 01.04.2012 तक ऋण राशि प्रदान नहीं गई है, अनुदान राशि पाने के योग्य हैं। ये अनुदान प्रतिपूर्ति रूप में परियोजना के पूर्ण होने तथा ऋण की अनुबंधित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, आय और व्यय खाते में वर्ष 2011-12 से 2016-17 के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए थे तथा 31.3.2018 तक कोई भी कार्यान्वयन एजेंसी अनुदान का दावा नहीं कर सकी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अब तक कोई भी परियोजना अनुदान घटक के योग्य नहीं हो सकी इस कारण अभ्यास बदल दिया गया है और व्यय को **अनुसूची 18** में आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।

13. बाह्य मुद्रा में लेन देन:

बाह्य मुद्रा में हुए लेनदेन का लेखा लेनदेन की दिनांक की विनिमय दरों के अनुसार किया जाता है। बाह्य मुद्रा में लिए गए ऋण जैसे एडीबी से अमेरिकी डॉलर में तथा केएफइब्ल्यू से यूरो में लिए गए ऋण को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार परिवर्तित किया है तथा परिणामस्वरूप लाभ/हानि में आय/व्यय को प्रभारित किया गया है।

ह/-
सहायक निदेशक (वित्त)

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

दिनांक : 28 जून, 2018

स्थान : नई दिल्ली



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र के भाग के रूप में संलग्न लेखों पर टिप्पणियाँ तथा आकस्मिक देनदारियाँ :-

1. आकस्मिक देनदारियाँ

अनुसूची-17 के पैरा 12 के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹168,89,91,750/- की आकस्मिक देनदारियों का आकलन किया गया, जो कि अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर ही देय है। चूंकि, इस तरह की कोई भी परियोजना अनुदान के लिए पात्र होने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं कर पाई, इसलिए वित्त वर्ष 2018-19 में परियोजनाओं के लिए कोई अनुदान राशि जारी नहीं की गई थी, अतः ₹168,89,91,750/- को आकस्मिक देयता में से हटा दिया गया था।

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अनुदानों के प्रति एक नए आकस्मिक दायित्व का मूल्यांकन किया गया था जो ₹8,76,00,000/- है।

2. पूर्व अवधि व्यय:

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग की टिप्पणियों के अनुसार, अलग ऑडिट रिपोर्ट नंबर-DD-II/वार्षिक A/c.NCRPB10-3/2012-13/489 दिनांक 10.10.2013 के अनुपालन में, पूर्व-अवधि मदें आय और व्यय खातों में लाइन के नीचे अलग से दिखाई गई है। वर्ष के दौरान किए गए लेन-देन का विवरण निम्नानुसार है:

- क) वर्ष 2002-03 के बॉन्ड पर ब्याज के कारण 31.0.2006 से भारतीय एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड को ₹2,02,500/- देय था, जिसे 10 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद भी IACL द्वारा दावा नहीं किया गया। इसलिए, इसे वापस लिखा गया और आय में लिया गया। यह पूर्व-अवधि आइटम अनुसूची-16 में दिखाया गया है।
- ख) बयाना राशि ₹4,96,965/- जो 2005-07 से संबंधित है, जिसके लिए किसी भी पक्ष द्वारा गत 10 वर्षों से अधिक के बाद भी कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए इसे वापस लिखा गया और आय में लिया गया और पूर्व-अवधि मदों की अनुसूची-16 में दिखाया गया।
- ग) वित्त वर्ष 2017-18 के लिए एनसीआर सेल के खर्चों के लिए अतिरिक्त प्रावधान को वित्त वर्ष 2017-18 में किए गए प्रावधान से अधिक राशि का भुगतान किया गया है, जिसे वित्त वर्ष 2018-19 की अनुसूची-16 में पूर्व-अवधि के मद में लिया गया है।
- घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 में हरियाणा सरकार से वसूल किए गए प्रतिबद्धता शुल्क को आय और व्यय खाते में नहीं लिया गया जिसे वित्त वर्ष 2018-19 की अनुसूची-16 में पूर्व-अवधि मद में लिया गया है।

3. एनसीआर नियोजन एवं निगरानी सेल:

क) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, एनसीआरपीबी द्वारा संबंधित एनसीआर सेल/राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दावों के सत्यापन के बाद संबंधित राज्य सरकारों को एनसीआर सेल पर खर्च की राशि की प्रतिपूर्ति की जाती है। चूंकि, वित्तीय वर्ष के समापन और वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के बाद बोर्ड को दावे प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए एनसीआर प्रकोष्ठों से प्राप्त पिछले दावों/भुगतान के आधार पर वार्षिक खाते में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। तदनुसार, 31.3.2019 तक देय वार्षिक राशि के साथ संलग्न तुलनपत्र की अनुसूची-16 में 31.3.2019 तक देय एनसीआर सेल के खर्च के लिए रु4,15,52,760/- का प्रावधान किया गया है।

ख) वर्ष 2018-19 के दौरान, लेखों के माध्यम से निम्नलिखित समायोजन पारित किए गए:

(i) **हरियाणा सेल:** वर्ष 2017-18 के लिए हरियाणा सेल को देय खर्चों का प्रावधान रु1,39,78,377/- था, लेकिन इसके विरुद्ध, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु1,33,84,082/- का वास्तविक भुगतान किया गया था। तदनुसार, रु5,94,295/- पूर्व अवधि मद अनुसूची-16 में प्रभारित किया गया है।

(ii) **उत्तर प्रदेश सेल:** वर्ष 2017-18 के लिए उत्तर प्रदेश सेल को देय व्यय का प्रावधान रु1,31,68,404/- था, लेकिन इसके विरुद्ध, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान रु99,81,853/- का वास्तविक भुगतान किया गया। तदनुसार, रु31,86,551/- पूर्व अवधि मद अनुसूची-16 में प्रभारित किया गया है।

(iii) **राजस्थान सेल:** राजस्थान सेल को देय व्यय के लिए वर्ष 2017-18 में रु96,97,364/- का प्रावधान किया गया परंतु इसके विरुद्ध वर्तमान वित्त वर्ष 2018-19 में रु1,17,43,075/- की राशि का वास्तविक भुगतान किया गया। तदनुसार, रु20,45,711/- पूर्व-अवधि मद अनुसूची-16 में प्रभारित किया गया है।

(iv) **दिल्ली सेल:** वर्ष 2013-14 के बाद से दिल्ली सेल के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, वित्त वर्ष 2017-18 के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान दिल्ली सेल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए रु20,74,154/- का दावा किया है। तदनुसार, रु20,74,154/- पूर्व-अवधि मद अनुसूची-16 में प्रभारित किया गया है।

(ग) एनसीआर सेल व्यय के लिए वित्त वर्ष 2018-19 में रु4,15,52,760/- का निम्न रूप से प्रावधान किया गया है तथा उसे आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है :

| | | |
|------------|---|-------------------------------|
| राजस्थान | - | ₹ 96,97,364.00 |
| उ.प्र. | - | ₹1,58,02,865.00 |
| हरियाणा | - | ₹1,39,78,377.00 |
| दिल्ली | - | <u>₹20,74,154.00</u> |
| कुल | - | <u>₹4,15,52,760.00</u> |

दिनांक 31.3.2019 को समाप्त वर्ष हेतु वार्षिक लेखों की अनुसूची-6 के अनुसार एनसीआर सेलों को देय व्यय का कुल प्रावधान रु4,15,52,760/- किया गया है।

4. आयकर:

बोर्ड की आय को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(23सी)(iv)के अंतर्गत कर-निर्धारण वर्ष 2003-04 से दिनांक 2.5.2008 के आयकर आदेश के तहत आयकर से छूट प्राप्त है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017-18 में बोर्ड के वार्षिक लेखों में आयकर का कोई प्रावधान नहीं किया गया।

तथापि, वर्ष 2018-19 के लिये उधारकर्ता-अभिकार्यों (एजेंसियों)/बैंकों ने वर्ष के दौरान बोर्ड को दिए गए ब्याज भुगतान पर रु21,00,17,601/- का टी.डी.एस. काटा है। इस राशि में दिनांक 31.03.2019 तक, बैंकों द्वारा निवेशों पर काटा गया टीडीएस रु5,27,11,403/- तथा रु15,73,06,198/- रा.रा.क्षे.यो.बो. से ली गई वित्तीय सहायता पर ब्याज भुगतान पर भागीदार राज्यों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कटौती की गई। तदनुसार, वर्ष 2018-19 के लिए बोर्ड के वार्षिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूची-10 में शीर्ष "अग्रिम और अन्य वसूली योग्य राशि" के तहत रु21,00,17,601/- स्रोत पर कर कटौती के रूप में दर्शाया गया है।

जैसा कि वित्त वर्ष 2017-18 की अनुसूची-10 में दिखाया गया है, रु72,52,42,870/- में से मूल्यांकन वर्ष 2008-09 से 2018-19 से संबंधित लंबित रिफंड, रु16,66,46,060/- के लिए वापसी आदेश पारित कर दिया गया है (आकलन वर्ष 2018-19 के फॉर्म 26AS के अनुसार)। हालाँकि, उसी को आयकर विभाग के एमआईएस में वर्ष 2015-16 के लिए परिलक्षित मांग के लिए समायोजित किया गया है, जबकि, धारा 143(2) के तहत आयकर आयुक्त, नई दिल्ली के समक्ष जांच प्रक्रियाधीन है। वर्ष के दौरान आकलन वर्ष 2016-17 के आयकर आकलन को धारा 143(3) के तहत आयकर उपायुक्त द्वारा पूरा कर लिया गया है तथा दिनांक 01.12.2018 के आदेश के अनुसार धारा 156 के तहत शून्य करदेयता के रूप में स्वीकार किया गया है, और इसके लिए रु14,48,87,176/- रिफंड आदेश जारी किया है।

5. बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय एजेंसियों से उधार:

(क) एशियाई विकास बैंक: दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार, एडीबी से उठाए गए बकाया ऋण/उधार (पुनर्भुगतान के बाद) 31.3.2019 को प्रचलित दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में \$55.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर (रु363.33 करोड़) था। 2018-19 के दौरान एक्सचेंज रेट वैरिएशन पर रु23.73 करोड़ की हानि, बकाया ऋण पर "बाजार उधार पर व्यय" के तहत दिखाया गया है और आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया गया है। तदनुसार, एडीबी ऋण का कुल बकाया मूल्यांकन रु387.06 करोड़ है, जिसमें अनुसूची 5 में दर्शायी गई रु62.1732 करोड़ की संचित विनिमय दर भिन्नता हानि (डॉलर बनाम रुपया) शामिल है।

(ख) के.एफ.डब्ल्यू. (जर्मन द्विपक्षीय एजेंसी): दिनांक 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार, के.एफ.डब्ल्यू. से उठाए गए बकाया ऋण/उधार 31.3.2019 को प्रचलित दर लागू करके रिपोर्टिंग मुद्रा में \$80.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर (रु641.80 करोड़) था। 2018-19 के दौरान रु20.19 करोड़ की विनिमय दर भिन्नता पर लाभ, बकाया ऋण पर, "बाजार उधार पर व्यय" के तहत दिखाया गया है और आय और व्यय खाते में प्रभारित किया गया है। तदनुसार, केएफडब्ल्यू ऋण का कुल बकाया मूल्यांकन, रु621.61 करोड़ दिखाया गया, जिसमें अनुसूची 5 में रु34.3150 करोड़ की संचित विनिमय दर भिन्नता हानि (यूरो बनाम रूपया) शामिल है।

6. स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय – पूंजी/योजना एवं आय/गैर योजना

अनुसूची 13 में स्थापना व्यय (पूंजी) शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गए रु75,62,953/- बोर्ड के आंतरिक उपार्जन से वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड के 10 कर्मचारियों को दिए गए वेतन के सम्बंध में है। ये 5 पद वर्ष 1998-99 में सरकार द्वारा सृजित/स्वीकृत किए गए थे तथा इन पदों के लिए बोर्ड के आंतरिक जमा से व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त 5 अस्थाई पद आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के पत्र दिनांकित 27.1.2011 के द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई (प्रोजेक्ट विंग) के लिए सृजित किए गए हैं जिनके लिए बोर्ड की आंतरिक आय से व्यय किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार, बोर्ड कार्यालय वार्षिक लेखों में दर्शाए अनुसार वर्ष 1999-2000 से इस व्यय को अपने आंतरिक उपार्जन से जमा कर रहा है तथा इसे आय-व्यय (पूंजी/योजना) में दर्शाया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा आय/गैर योजनागत शीर्ष के अंतर्गत स्थापना एवं प्रशासनिक व्यय के लिए दिए गए बजट समर्थन के अलावा बोर्ड अपने आंतरिक प्रोद्भवन से सभी खर्च पूर्ण करता है।

7. निवेश: ईक्विटी एनसीआर परिवहन निगम लि. में योगदान

एनसीआर परिवहन निगम के गठन के लिए कैबिनेट नोट को दिनांक 11.7.2013 को मंजूरी दी गई। दिनांक 1.8.2013 को संस्थापन प्रलेख और संस्था के अंतर्नियम हस्ताक्षरित किए गए और एनसीआरटीसी लिमिटेड को 21.8.2013 को निगमित किया गया। इसके अलावा, बोर्ड की 34वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों, आरआरटीएस परियोजनाओं के संरेखण सहित एनसीआरटीसी द्वारा देखे जायेंगे। एनसीआरटीसी, रु100 करोड़ के प्रारंभिक कोष के साथ, आरआरटीएस कोरीडोर के डिजाइन, वित्त पोषण और कार्यान्वयन का स्वामित्व रखता है तथा इस प्रारंभिक कोष में निम्नलिखित अंशदान दिए जाने हैं :-

| क्रम सं | इकाई/प्रमोटरों की प्रकृति | एनसीआरटीसी में हिस्सा(%) | रकम (करोड़ ₹ में) |
|---------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. | शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार | 22.5% | 22.50 |
| 2. | रेल मंत्रालय, भारत सरकार | 22.5% | 22.50 |
| 3. | रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार | 12.5% | 12.50 |

| | | | |
|----|---------------------------------------|-------|--------|
| 4. | उत्तर प्रदेश सरकार | 12.5% | 12.50 |
| 5. | हरियाणा सरकार | 12.5% | 12.50 |
| 6. | राजस्थान सरकार | 12.5% | 12.50 |
| 7. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड | 5% | 5.00 |
| | कुल | 100% | 100.00 |

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड ने एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रु5.00 करोड़ (5%) की इक्विटी शेयर में निवेश किया है जिसके अनुरूप एन.सी.आर. ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रु100 प्रत्येक मूल्य के 5,00,000 शेयर प्रमाण पत्र जारी किए हैं जो कि विशिष्ट प्रमाण पत्र संख्या 3 और 10 विशिष्ट संख्या के अनुसार 2501 से 2750 अर्थात् 250 इकाइयाँ और विशिष्ट संख्या 1754001 से 2253750 अर्थात् 4,99,750 इकाइयाँ, जो की सदस्य सचिव रा.रा.क्षे.योजना बोर्ड या निदेशक एन.सी.आर.टी.सी. के पक्ष में जारी हैं।

8. 31.3.2019 के अनुसार राज्य सरकार को जारी ऋण/अग्रिमों की बकाया राशि रु4,897,68,15,565/- है जो अनुसूची-10 में दर्शाई गई है:

| राज्य | रकम (₹करोड़ में) |
|----------------------------|------------------|
| राजस्थान उपक्षेत्र & सीएमए | 1811.21 |
| उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र | 1891.93 |
| हरियाणा उपक्षेत्र | 1181.21 |
| दिल्ली | 13.33 |
| कुल | 4897.68 |

9. खराब और संदिग्ध ऋण:

क) रु98,361/- को "खराब और संदिग्ध ऋण" के तहत दिखाया गया है, जो कि 10 वर्षों से अधिक से अप्राप्य है।

10. आय एवं व्यय खाते तथा बैलेंस शीट में चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ें, जहां आवश्यक हो, पुनः समूहबद्ध/पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

ह/-
वित्त एवं लेखा अधिकारी

ह/-
निदेशक (प्रशा. एवं वित्त)

ह/-
सदस्य सचिव

दिनांक : जून, 2019

स्थान : नई दिल्ली